

प्रेषक,

पंजीकृत

सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव  
श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय  
श्रामपुर, जहानागंज  
आजमगढ़।

पत्रांक— शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०— 247 /

/2012-13

दिनांक: 22-6-12

विषय:— निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक बी०टी०सी०/13-2012 दिनांक 16.06.2012 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक बी०टी०सी०/अनु०-247/905-08/2012-13 दिनांक 11.06.2012 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्रीमती नीलम पाण्डेय

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का उनके मूल अभिलेखों से सत्यापन कर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०— 247 / 1393-96 /2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।

3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जाफरपुर, आजमगढ़।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव  
श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय  
श्रीमपुर, जहानागंज  
आजमगढ़।

पत्रांक— शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०— /

/2012-13

दिनांक: 11.06.12

विषय— निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक शून्य दिनांक 26.05.2012 के संदर्भ में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. श्री राधेश्याम यादव (पिछड़ी जाति)  | प्रवक्ता आधारिक  |
| 2. श्री प्रेम शंकर यादव (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| 3. श्रीमती सीमा चतुर्वेदी             | प्रवक्ता प्रविधि |
| 4. श्री आलोक कुमार (अनुसूचित जाति)    | प्रवक्ता प्रविधि |
| 5. श्रीमती शिखा चतुर्वेदी             | प्रवक्ता कला     |

एन०सी०टी०ई० नियमावली 2009 के अपेडिक्स II के मानकानुसार प्राचार्य/विभागाध्यक्ष पद पर चयनित अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव न होने के कारण तथा प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र में सौरभ सिंह तथा हस्ताक्षर सौरभ सिंह एवं शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका में सौरभ सिंह का उल्लेख होने एवं भिन्नता के कारण अनुमोदन के सम्बन्ध में वैधानिक कठिनाई हो रही है।

भवदीय

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-247/ 05-08 /2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जाफरपुर, आजमगढ़।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

01/6/12

प्रेषक,

पंजीकृत

सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव  
श्री हरि शंकर जी महाविद्यालय  
रामपुर, जहानागंज  
आजमगढ़।

पत्रांक— शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०— 247 / 2018-21 / 2012-13 दिनांक: 13-8-12  
विषय— निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित दिनांक 03.07.2012 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक बी०टी०सी०/अनु०-247/905-08/2012-13 दिनांक 11.06.2012 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्री सौरव सिंह

प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का उनके मूल अभिलेखों से सत्यापन कर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

13.8.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०— 247 / / 2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जाफरपुर, आजमगढ़।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

पंजीकृत

सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव  
श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय,  
रामपुर, जहानागंज, आजमगढ़।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- / 4314-17 / 2015-16 दिनांक: २७ फरवरी, 2016  
विषय:- निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के वयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24.02.2016 के संदर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार प्रबन्धक के शपथ पत्र के प्रति निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अतिरिक्त संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01. श्री राकेश कुमार (अनुसूचित जाति)
02. श्री शिवकुमार (अनुसूचित जाति)
03. श्री विनीत कुमार शर्मा (पिछड़ी जाति)
04. श्री शाहिद अख्तर अंसारी (पिछड़ी जाति)
05. श्री सौरभ कुमार
06. श्री आलोक कुमार पाण्डेय
07. श्री नर्वदेश्वर गुप्ता
08. श्री प्रभात कुमार दीक्षित
09. सुश्री प्रतिमा शर्मा

प्रवक्ता शिक्षा का आधार/परिप्रेक्ष्य  
प्रवक्ता शिक्षा का आधार/परिप्रेक्ष्य  
प्रवक्ता गणित  
प्रवक्ता गणित  
प्रवक्ता विज्ञान  
प्रवक्ता विज्ञान  
प्रवक्ता भाषा  
प्रवक्ता भाषा  
प्रवक्ता ललित कला

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

/ 2015-16

तददिनांक

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि - II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
03. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

MANAGER

SHRI HARISANKAR JI MAHAVIDYALAYA

RAMPUR-JAHANAGANJ, AZAMGARH